राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 17/2018

दायर दिनांक 18.06.2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1- प्रभुदयाल पुत्र स्व0 रामधन जाति ब्राहमण निवासी जाजोता, तहसील रूपनगढ़

......प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्।

निर्णय

दिनांक 28.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम जाजोता पटवार क्षेत्र जाजोता तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाता संख्या नया 212 के ख0न0 107/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा जिसमें हिस्सा जमाबन्दी अनुसार सम्पूर्ण है। कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। वर्णित कृषि आराजी पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त ख0न0 की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद भी राजस्व नक्शा को छोटा बताकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को मौके पर कम बता रहे है। प्रार्थी की नींव,सींव को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए प्रार्थी की वर्णित खसरा नम्बर की भूमि पर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज, काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थी को अपने खेतो में भूमि की बुवाई, जुताई,बिजाई, निराई, गुडाई ,जोत करने तथा नींव, मेड़ को लेकर आपत्ति एंव बाधा रूकावट पैदा ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं में स्थित होने से श्रीमान को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी का है, जिसमें राज्यहित निहित नहीं है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जाजोता के ख0न0 107/1 रकबा 16 बीघा 10 भूमि के पड़ौसी खातेदारो को सुचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)